NASS

National Alliance for Social Security

सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और प्रारूप नियम (केंद्रीय)

आगे की चुनौतियां और प्रस्तावित संशोधन

विषयवस्तु .....

1. एक प्रस्तावना	1
2. सामाजिक सुरक्षा संरक्षण और संवैधानिक प्रतिबद्धता के उद्देश्य	3
3. संहिता (कोड) का विस्तार, आवेदन और प्रारंभ	4
4. प्रमुख परिभाषाएं	4
5. संहिता (कोड) के कार्यान्वयन के प्रयोजनों के लिए प्राधिकरण	8
6. असंगठित कामगारों, गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स (धारा 109 (1) (2) और धारा 114) के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की विशेष शक्तियाँ	9
7. असंगठित कामगारों, गिग कामगारों और प्लेटफार्म कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनायें	10
8. असंगठित कामगारों, गिग कामगारों और प्लेटफार्म कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा कोष की स्थापना (धारा 141)	13
9. लाभार्थियों के रूप में असंगठित कामगारों, गिग कामगारों और प्लेटफार्म कामगारों का पंजीकरण (धारा 113)	14
10. भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं (धारा 7 (6))	14
11. भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याण कोष का गठन	15
12. भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों का एक लाभार्थी के रूप में पंजीकरण	15
13. महामारी और महामारी की स्थिति के प्रसार के दौरान अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा संरक्षण	16
14. निधियों और खातों का रखरखाव	16
15. आगे की (भावी) चुनौतियां	16
16. प्रस्तावित संशोधनों	18
17. NASS और हमारे सदस्यों के बारे में	18
18. NASS और उसके पिछले कार्य के बारे में अधिक जानकारी	23

I. प्रस्तावना

भारत में लाखों असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभों के संरक्षण का इस स्तर तक पहुंचना उन विभिन्न संगठनों के प्रयासों का नतीजा है जो दशकों से इन कामगारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं । इन संगठनों में सेल्फ एंप्लॉयड वूमेन एसोसिएशन (SEWA), नेशनल सेंटर फॉर लेबर (NCL), तमिलनाडु कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यूनियन, आंध्र प्रदेश एग्रीकल्चर वर्कर्स यूनियन, कर्नाटक कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यूनियन, नेशनल कैंपेन कमेटी फॉर सेंट्रल लेजिस्लेशन (NCCCL), और महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में असंगठित श्रमिकों के लिए काम करने वाले विभिन्न अन्य संगठन शामिल है । वास्तव में, चार दशकों से निरंतर चल रहा यह आंदोलन न केवल आज भी जीवित है बल्कि अधिक सशक्त और प्रेरणादायक है। यह एक अनवरत रूप से चल रहा संघर्ष है । SEWA को असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा का अंब्रेला कानून बनाने में दूसरे राष्ट्रीय श्रम आयोग (2002) द्वारा गठित उप- समिति का सदस्य होना इस प्रयास में गौरव की बात रही ।

इसी संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि इस स्वीकृत उद्देश्य पर समान विचार रखने वाले संगठन - सेल्फ एम्प्लॉयड वूमेन एसोसिएशन (SEWA), होम बेस्ड नेटवर्क ऑफ साउथ एशिया (HNSA), सोशल अवेयरनेस एंड वॉलंटरी एजुकेशन (SAVE), बिल्डिंग एंड वुड वर्कर्स इंटरनेशनल (BWI), नेशनल स्ट्रीट वेंडर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, आंध्र प्रदेश व्यवसाय वृथु दरुला यूनियन एंड तेलंगाना व्यवसाय वृथुदरुला डयूनियन (APVVU & TVVU) सही समय पर एक महासंघ नेशनल एसोसिएशन फॉर सोशल सिक्योरिटी (नास) में एक साथ आए औए एक दशक से एक साथ संघर्ष कर रहे है।

सोशल सिक्योरिटी कोड, 2020 केंद्र सरकार की पहल का परिणाम है जिसे वर्ष 2017 शुरू किया जिसके अंतर्गत संसद द्वारा अधिनियमित सभी सामाजिक सुरक्षा विधानों को संकलित करके उसे सोशल सिक्योरिटी कोड, 2020 का नाम दिया गया । वास्तव में, सरकार द्वारा जल्दबाजी में यह प्रयास इस बात को मद्देनजर रखते हुए किया गया ताकि मौजूदा केंद्रीय सामाजिक सुरक्षा कानूनों को संगठित और असंगठित दोनों तरह के श्रमिकों के लिए एकल कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड, 2020- प्रस्तुत किया जा सके । यह प्रक्रिया बिना पूर्व तैयारी के केंद्र सरकार की स्व-कल्पित रचना है ।

देश के अगर प्रमुख श्रम कानूनों के अधिनियम का इतिहास यह बताता है कि इसकी पृष्ठभूमि में हमेशा एक श्रमिक आंदोलन रहा है और इसमें उच्च शक्ति आयोगों और समितियों के

निष्कर्षों और सिफारिशों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाता रहा है । दुर्भाग्य से, सोशल सिक्योरिटी कोड, 2020 के वर्तमान अधिनियम में इस महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि का पूर्णतया अभाव है और इसी ढोस पृष्ठभूमि के अभाव में देश के श्रमिक संगठनों द्वारा इसकी स्वीकार्यता मन से नहीं हुई । इसके अलावा इस संदर्भ में एक पहलू उन राज्यों के बारे मे है जहां पर असंगठित कामगारों की सामाजिक सुरक्षा लाभ के लिए बनाई गईं कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी तरह से क्रियान्वयन हो रहा है जैसे महाराष्ट्र मथादी, हमल एंड ओथर मैनुअल वर्कर्स (रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड वेलफेयर) एक्ट,1969, द महाराष्ट्र प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड (रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड वेलफेयर) एक्ट, 1984, द केरल एग्रीकल्चर वर्कर्स एक्ट,1974, द केरल हेड लोड वर्कर्स एक्ट,1978, द तमिल नाडु मैनुअल वर्कर्स (रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ वर्क) एक्ट,1982 , त्रिपुरा एग्रीकल्चर वर्कर्स एक्ट, 1984 और मध्यप्रदेश अनॉर्गनइज्ड वर्कर्स वेलफेयर एक्ट,2003 । इन पहलुओं पर कोड मौन है ।

इस नई व्यवस्था (सोशल सिक्योरिटी कोड) के अन्तर्गत नौ मौजूदा अधिनियम - द एम्प्लॉई कंपनसेशन एक्ट,1923, द एम्पलाइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, 1948, द एम्प्लाइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोवीजन एक्ट,1952, द एंप्लॉयमेंट एक्सचेंज (कंपल्सरी नोटिफिकेशन ऑफ वेकेंसी) एक्ट,1956, द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट,1961, द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट,1972, द सिने वर्कर्स वेलफेयर एक्ट,1981, द बिल्डिंग एंड अदर वेलफेयर सेस एक्ट, 1996 और द लेक्लस्टर अनोर्गनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट, 2008 के विलय या निरस्त होने की प्रक्रिया है ।

यह अफसोस की बात है कि कई केंद्रीय सेक्टर विशिष्ट कल्याण और सामाजिक सुरक्षा कानून इस प्रक्रिया में अछूते ही रह गए । इनमें द माइका वर्कर्स वेलफेयर एक्ट,1946, द डॉक वर्कर्स (रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट,1948, द पर्सनल इंजुरीज (इमरजेंसी प्रोविजन) एक्ट,1962, द पर्सनल इंजुरीज (कंपनसेशन इंश्योरेंस) एक्ट,1963, द लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट माइंस लेबर वेलफेयर फंड एक्ट,1972, द आयरन ओर माइंस, मैंगनीज माइंस एंड क्रोमो ओर माइंस लेबर वेलफेयर सेस एक्ट,1976, द आयरन ओर माइंस, मैंगनीज माइंस एंड क्रोमो ओर मिंस लेबर वेलफेयर एक्ट, 1976, द बीड़ी वर्कर्स वेलफेयर सेस एक्ट, 1976 एंड द बीड़ी वर्कर्स वेलफेयर एक्ट,1976 शामिल हैं ।

इन परस्पर विरोधी परिस्थितियों के बीच कोड के लंबे से नाम में प्रावधान है :

संगठित और असंगठित या किसी अन्य क्षेत्र के कर्मचारियों और कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने और उन से जुड़े मामलों के लिए सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कानूनों को संशोधित और समेकित करने के लिए एक अधिनियम है ।

सोशल सिक्योरिटी कोड, 2020 में निहित दायरों के मद्देनजर इस शीर्षक के साथ न्याय कर पाना सरकार के सामने एक असंभव लगने वाले कार्य के रूप में देखा जाना चाहिए।

II. सामाजिक सुरक्षा संरक्षण के उद्देश्य और संवैधानिक वचनबद्धता

सम्पूर्ण कार्यबाल को समाहित करके अच्छी तरह से डिज़ाइन की गई सामाजिक सुरक्षा योजनाएं देश को आर्थिक विकास और औद्योगीकरण के विस्तार की ओर ले जाती है । सामाजिक सुरक्षा उन स्तंभों में से है जिन पर एक कल्याणकारी राज्य की संरचना टिकी हुई है । ये सामाजिक सुरक्षा प्रावधान ही हैं जिनसे राज्य अपने सभी नागरिक को एक निश्चित जीवन स्तर पर बनाए रखने का प्रयास करता है । यह वह सुरक्षा है जिसे राज्य उपयुक्त संगठनों के माध्यम से कामगारों की जोखिम के विरुद्ध प्रदान करता है । ये जोखिम, अनिवार्य रूप आकस्मिकताएं हैं जिनका मुकाबला कम साधनों का व्यक्ति अकेले अपनी क्षमता से नहीं कर सकता है । सामाजिक सुरक्षा उपाय व्यक्ति को इस बात से चिंता मुक्त करते हैं कि हानि होने या आय में कमी होने पर वे क्या करेंगे। जब व्यक्ति कार्यरत होता है तो सामाजिक सुरक्षा की अवधारणा को बचत के रूप में देखा जाता है और जब वह बेरोजगार होता है तब आय के रूप में।

लाखों असंगठित कामगारों के लिए न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा लाभ 'सामाजिक-आर्थिक समानता' और 'सामाजिक न्याय' के लिए हमारे देश के संविधान में निहित लक्ष्य है । देश के असंगठित कामगार सात दशक से हमारे संविधान में निहित इस मूलभूत लक्ष्य से अभी तक वंचित रहे है वे अब इस अन्याय और असमानता को और नहीं सह सकते। देश के असंगठित कामगारों को चाहिए वह इस सुरक्षा को अपना कानूनी अधिकार मानने की जगह इसे संवैधानिक अधिकार के रूप में रखे जाने की मांग करें । इस अधिकार को अनुच्छेद 21 में आने वाले मौलिक अधिकार 'जीने का अधिकार' में निहित देखा जाना चाहिए। 'सामाजिक सुरक्षा का अधिकार' संविधान के अनुच्छेद 21 में आने वाले 'जीवन के अधिकार' का एक अभिन्न अंग है । इस क्षेत्र के श्रमिक दशकों से हो रहे अन्याय और असमानता को और सहन नहीं कर सकते । हम एक 'सामूहिक शक्ति' के रूप में संविधान में निहित 'सामाजिक- आर्थिक अधिकार ' को प्राप्त करने के लिए आवाज उठाते हैं ।

हम कामगार को जो जरूरत है वो है प्रख्यापित सुरक्षात्मक कानून के तहत एक सुपरिभाषित सामाजिक सुरक्षा लाभ संरक्षण के सामाजिक सुरक्षा पर कोड (Code on Social Security) की और इस संदर्भ इस कोड के क्रियान्वयन के उद्देश्य स्पष्ट और सरकार का दृष्टिकोण अवश्य ही रचनात्मक और सुपरिभाषित होना चाहिए।

III. कोड का विस्तार, लागू होना और आरंभ

सेक्शन 1 (2) के अनुसार यह कोड पूरे भारत में लागू होगा

सेक्शन 1 (3) के अनुसार यह कोड उस तारीख को लागू होगा जिसे केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना से नियत करें; और इस कोड के विभिन्न प्रावधानों के लिए अलग-अलग तिथियां निर्धारित की जा सकती हैं और इस कोड के प्रारंभ के लिए ऐसे किसी प्रावधान में किसी भी संदर्भ को उस प्रावधान के लागू होने के संदर्भ के रूप में माना जाएगा ।

यह सेक्शन में राज्यों के क्षेत्र में इस कोड के लागू होने का कोई संदर्भ नहीं है, हालांकि कोड में राज्य इसके कार्यान्वयन में एजेंसियों के अभिन्न अंग हैं । यह पहलू आमतौर पर कोड के तहत इसके कार्यान्वयन के प्रयोजनों के लिए उपयुक्त नियम बनाने में राज्यों की भूमिका का विशेष संदर्भ देता है ।

नोट : आंदोलन (संगठनों) के कार्य में राज्यों द्वारा कोड के कार्यान्वयन में उनकी भूमिका के निर्वहन के लिए उपयुक्त नियम बनाने के पहलू को पुरजोर तरीके से शामिल करना चाहिए ।

IV. प्रमुख परिभाषाएं

कोड में शामिल प्रमुख परिभाषाएं :

(i) 'भवन कामगार' (सेक्शन 2(7)

(ii) 'गिग वर्कर' (सेक्शन 2 (35)

(iii) 'घर-आधारित (होम बेस्ड) वर्कर' (सेक्शन 2 (36)

(iv) 'प्लेटफॉर्म वर्क' (सेक्शन 2 (60)

(v) 'प्लेटफॉर्म वर्कर' (सेक्शन 2 (61)

(vi) 'स्व-रोजगारी कामगार' (सेक्शन 2 (75)

(vii) 'सामाजिक सुरक्षा' (सेक्शन 2 (78)

(viii) 'असंगठित क्षेत्र' (सेक्शन 2 (85)

(ix) 'असंगठित कामगार' सेक्शन 2 (86)

(x) 'दिहाड़ी श्रमिक / वेज वर्कर' (सेक्शन 2 (86)

कोड अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा को परिभाषित करता है –

(i) भवन एवं अन्य निर्माण कामगार;

(ii) असंगठित कामगार;

(iii) गिग वर्कर्स; और

(iv) प्लेटफॉर्म वर्कर्स ।

इन चार में से तीन श्रेणी कामगार यथा (i) भवन एवं अन्य निर्माण कामगार; (ii) गिग वर्कर; और (iii) प्लेटफॉर्म वर्कर किसी सेक्टर या विशेष श्रेणी में आते है । जबकि, 'असंगठित कामगार' सेक्टर या श्रेणी विशेष के विपरीत एक वृहद श्रेणी में आते है ।

इस कोड अर्थ में **'असंगठित कामगार'** कौन है ? सेक्शन 2 (86) असंगठित कामगार को परिभाषित करता है –

> 'एक घर-आधारित कामगार, स्व-रोजगारी कामगार या असंगठित क्षेत्र में काम करने वाला दिहाड़ी श्रमिक और संगठित क्षेत्र का ऐसा कामगार जो इंडस्ट्रियल डिसप्यूट ऐक्ट, 1947 या इस कोड के अध्याय III से VII के अंतर्गत नहीं आता है' ।

सेक्शन 2 (85) में असंगठित क्षेत्र का आशय व्यक्तियों या स्व-नियोजित श्रमिकों का उद्यम है जो सामान के उत्पादन या बिक्री या किसी भी प्रकार सेवा प्रदान करने में लगा हुआ है, और जहां उद्यम श्रमिकों को नियुक्त करता है, ऐसे श्रमिकों की संख्या दस से कम है ।

इस परिभाषा के अनुसार 11-19 श्रमिकों को रोजगार देने वाला और बिना बिजली की सहायता से चलाने वाला उद्यम ना तो 'असंगठित क्षेत्र' और ना ही 'कारखाना' है (कोड के सेक्शन 2 (32) में फैक्ट्री की परिभाषा)।

कोड में 'एंटरप्राइज / उद्यम' परिभाषित नहीं है ।

सेक्शन 2 (90) में **'वेज वर्कर'** का आशय असंगठित क्षेत्र में पारिश्रमिक के लिए नियोजित व्यक्ति, सीधे एक नियोक्ता द्वारा या ठेकेदार के माध्यम से, कार्यस्थल कोई भी

हो, चाहे विशेष रूप से एक नियोक्ता के लिए हो या एक से अधिक नियोक्ताओं के लिए, चाहे नगद या वस्तु के रूप में, चाहे वो घर-आधारित कामगार हो या अस्थाई या आकस्मिक कामगार हो, या प्रवासी कामगार के रूप में, या घरेलू कामगारों सहित परिवार द्वारा नियोजित मासिक वेतन पर हो जिसे मसले के अनुसार केंद्र और राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है ।

इस परिभाषा में कृषि कार्यों सहित वृक्षारोपण (प्लांटेशन) श्रमिक शामिल है जिनकी संख्या 10 से अधिक ना हो ।

तदनुसार, यदि नियोक्ता द्वारा नियोजित कृषि श्रमिकों की संख्या 10 से अधिक होगी तो यह कोड लागू नहीं होगा ।

सेक्शन 2 (35) में **'गिग वर्कर'** से आशय – एक व्यक्ति पारंपरिक नियोक्ता – कर्मचारी संबंधों से इतर काम करता है या कार्य व्यवस्था में भाग लेकर कमाता है ।

(कोड में गिग वर्क परिभाषित नहीं है)

सेक्शन 2 (61) में परिभाषित प्लेटफॉर्म वर्कर का आशय एक व्यक्ति जो प्लेटफॉर्म के काम में लगा हो प्लेटफॉर्म उपक्रम करता हो:

सेक्शन 2 (60) में '**प्लेटफॉर्म वर्क**' से आशय है, पारंपरिक नियोक्ता – कर्मचारी संबंध से इतर एक कार्य व्यवस्था जिसमें भुगतान के बदले संगठन या व्यक्ति विशिष्ट समस्याओं को हल करने के लिए अन्य संगठनों या व्यक्तियों तक पहुंचने के लिए या विशिष्ट सेवाओं ऐसी अन्य कोई गतिविधियां जिन्हें केंद्र सरकार अधिसूचित कर सकती है, को प्रदान करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करते है ।

निश्चय ही प्लेटफॉर्म वर्क अनुबंध के आधार पर कुशल या विशेष कार्य की श्रेणी में आता है कमाई 'शोषित' के विपरीत बेहतर या उच्चतम होती है ।

सेक्शन 2 (78) में सामाजिक सुरक्षा से आशय –

(i) कर्मचारी;

(ii) असंगठित कामगार;

(iii) गिग वर्कर; और

(iv) प्लेटफॉर्म वर्कर

– स्वास्थ सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने और विशेष रूप से वृद्धावस्था, बेरोजगारी, बीमारी, अमान्यता, काम के दौरान चोट, मातृत्व या कमाने वाले के मृत्यु के मामलों में उन्हे प्रदत्त अधिकारों और इस कोड में बनाई गई योजनाओं के माध्यम से आय सुरक्षा प्रदान करने के लिए सामाजिक सुरक्षा के उपाय है ।

नोट : परिभाषा के अनुसार भवन और अन्य निर्माण कामगारों को 'सामाजिक सुरक्षा' के संरक्षण के दायरे से बाहर रखा गया है, यह तथ्य गौर करने लायक है कि उन्हें 'कल्याण' लाभ मिलता है जो कि सामाजिक सुरक्षा से अधिक व्यापक है ।

शब्द 'कल्याण' जीनस (वंश) है 'सामाजिक सुरक्षा उसकी प्रजातियों में से एक है ।

V. कोड के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अधिकार

प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कोड निम्नलिखित प्राधिकारी प्रदान करता है :

क्रम संख्या	विवरण	नेशनल सिक्युरिटी बोर्ड फॉर अनोरगेनाइसड़ वर्कर्स (सेक्शन 6 (2-7) नेशनल एस एस बोर्ड फॉर गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स (सेक्शन 114(6)	स्टेट सोशल सिक्युरिटी बोर्ड फॉर अनोरगेनाइसड़ वर्कर्स (सेक्शन 6, (9-15)	स्टेट बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड (सेक्शन 7 (1-6)
1.	कोड के अंतर्गत गठन का अधिकार	केंद्र सरकार (सेक्शन 6)	राज्य सरकार (सेक्शन 6(9)	राज्य सरकार (सेक्शन 7 (1-6)
2.	संयोजन	बहुपक्षीय (सेक्शन 6(2)	बहुपक्षीय (सेक्शन 6(10)	राज्य द्वारा बनाए जाने वाले प्रासंगिक नियमों में निर्दिष्ट होना आवश्यक है (सेक्शन 7(3) [अधिकांश राज्यों में पहले से मौजूद है]
3.	शक्तियां और कार्य	असंगठित कामगारों के विभिन्न वर्गों, गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए उपयुक्त योजनाओं को बनाने के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश	असंगठित कामगारों के विभिन्न वर्गों के लिए उपयुक्त योजनाओं को बनाने के लिए राज्य सरकार को सिफारिश	मृत्यु और विकलांगता लाभ दे रहे हैं लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन का भुगतान लाभार्थियों की

		केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित ऐसी कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी	राज्य सरकार द्वारा असंगठित कामगारों के लिए प्रशासित ऐसी समाज कल्याण योजनाओं की निगरानी	सामूहिक बीमा योजना के लिए प्रीमियम का भुगतान लाभार्थियों के बच्चों की शिक्षा के लिए योजना बना रहे हैं
		राज्य स्तर पर रिकार्ड रखने के काम की समीक्षा	असंगठित कामगारों के पंजीकरण और कार्ड जारी होने की समीक्षा	लाभार्थियों और आश्रितों के लिए प्रमुख बीमारियों के इलाज के चिकित्सा खर्चों का भुगतान लाभार्थियों को मातृत्व लाभ का भुगतान कौशल विकास प्रशिक्षण परागमन आवास कल्याणकारी उपायों में बेहतरी के

VI. असंगठित कामगारों, गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के विशेष अधिकार (सेक्शन 109 (1) (2) और 114)

यह कोड असंगठित कामगारों, गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए विशेष विशेष योजनाएं बनाने के लिए उपयुक्त सरकारों तथा केंद्र और राज्य सरकारों को अनन्य अधिकार प्रदान करता है । ये विशेष अधिकार सामाजिक सुरक्षा प्राधिकरणों यथा असंगठित कामगारों के लिए नेशनल और स्टेट सोशल सिक्योरिटी बोर्ड की किसी भी सिफारिश से भी अनन्य है ।

इस संदर्भ में सेक्शन 6 के तहत नेशनल और स्टेट सोशल सिक्योरिटी बोर्ड के द्वारा की गयी सिफारिशों को केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा बनाई गयी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के पूरक के रूप में देखा जाना है । इस पहलू को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए ।

VII. असंगठित कामगारों, गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं

क्रम संख्या	योजना का दायरा तय करने का अधिकार	असंगठित कामगारों के लिए योजनाएं	गिग वर्कर्स के लिए योजनाएं	प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए योजनाएं
1.	भारत सरकार (सेक्शन 109(1)	– जीवन और विकलांगता कवर – स्वास्थ और मातृत्व लाभ – वृद्धावस्था संरक्षण – शिक्षा – केंद्र सरकार द्वारा तय अन्य लाभ	– जीवन और विकलांगता कवर – दुर्घटना बीमा – स्वास्थ और मातृत्व लाभ – वृद्धावस्था संरक्षण – शिशुगृह – केंद्र सरकार द्वारा तय अन्य लाभ	– जीवन और विकलांगता कवर – दुर्घटना बीमा – स्वास्थ और मातृत्व लाभ – वृद्धावस्था संरक्षण – शिशुगृह – केंद्र सरकार द्वारा तय अन्य लाभ
2.	योजना का दायरा	एसी योजना में शामिल होना चाहिए: – योजना का दायरा – योजना के क्रियान्वयन की अथॉरिटी – योजना के लाभार्थी – योजना के लिए संसाधन – योजना को लागू करने के लिए एजेंसियां	ऐसी योजना में शामिल होना चाहिए: – योजना प्रशासित करने के तरीके – योजना को लागू करने वाली एजेंसी – योजना में एग्रीगेटर की भूमिका – योजना के लिए आर्थिक स्रोत	ऐसी योजना में शामिल होना चाहिए: – योजना प्रशासित करने के तरीके – योजना को लागू करने वाली एजेंसी – योजना में एग्रीगेटर की भूमिका – योजना के लिए आर्थिक स्रोत

		– शिकायत निवारण – अन्य संबंधित मसले		
3.	ऐसी योजनाओं के लिए धन के स्रोत (सेक्शन 109 (3) इसका संदर्भ सेक्शन 141 में दिया जाना चाहिए	(a) पूरी तरह केंद्र सरकार से वित्त पोषित या (b) आंशिक रूप से केंद्र और आंशिक रूप से राज्य सरकार से वित्त पोषित या (c) आंशिक रूप से केंद्र और आंशिक रूप से राज्य सरकार और आंशिक रूप से योजना के लाभार्थियों के योगदान या योजना में निर्दिष्ट नियोक्ताओं के योगदान से वित्त पोषित (d) कंपनी अधिनियम 2013 के तहत कॉर्पोरेट सामाजिक	(a) पूरी तरह केंद्र सरकार से वित्त पोषित या (b) आंशिक रूप से केंद्र और आंशिक रूप से राज्य सरकार से वित्त पोषित या (c) आंशिक रूप से केंद्र और आंशिक रूप से राज्य सरकार और आंशिक रूप से योजना के लाभार्थियों के योगदान या योजना में निर्दिष्ट नियोक्ताओं के योगदान से वित्त पोषित (d) कंपनी अधिनियम 2013 के तहत कॉर्पोरेट सामाजिक	(a) पूरी तरह केंद्र सरकार से वित्त पोषित या (b) आंशिक रूप से केंद्र और आंशिक रूप से राज्य सरकार से वित्त पोषित या (c) आंशिक रूप से केंद्र और आंशिक रूप से राज्य सरकार और आंशिक रूप से योजना के लाभार्थियों के योगदान या योजना में निर्दिष्ट नियोक्ताओं के योगदान से वित्त पोषित (d) कंपनी अधिनियम 2013 के तहत कॉर्पोरेट सामाजिक

		उत्तरदायित्व (CSR) या योजना में निर्दिष्ट अन्य स्रोत से वित्त पोषित	उत्तरदायित्व (CSR) या योजना में निर्दिष्ट अन्य स्रोत से वित्त पोषित	उत्तरदायित्व (CSR) या योजना में निर्दिष्ट अन्य स्रोत से वित्त पोषित
4.	राज्य सरकार (सेक्शन 109 (2) ये योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा सब सेक्शन (1) में बनायी विशेष योजनाओं के अतिरिक्त है	(a) भविष्य निधि (b) रोजगार में चोट / शारीरिक क्षति में लाभ (c) आवास (d) बच्चों की शिक्षा के लिए योजना (e) कामगारों का कौशल विकास (f) अंतिम संस्कार सहायता		
5.	योजना के वित्त पोषण के स्रोत	(a) पूरी तरह राज्य सरकार से वित्त पोषित या (b) आंशिक रूप से राज्य सरकार और आंशिक रूप से लाभार्थियों के योगदान या निर्दिष्ट नियोक्ताओं से वित्त पोषित या		

		(c) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) से वित्त पोषित (d) राज्य सरकार इस संबंध में केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता ले सकती है ।		

इसके अतिरिक्त कोड का सेक्शन 150 'उपयुक्त सरकार' को - पुराने प्रकाशनों, कोड के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए योजनाओं को बनाने के विषय में अवशिष्ट शक्ति प्रदान करता है ।

VIII. असंगठित कामगारों, गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा निधि की स्थापना (सेक्शन 141)

केंद्र सरकार सेक्शन 141 (1) के तहत असंगठित कामगारों, गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए एक सामाजिक सुरक्षा निधि की स्थापना करेगी । ऐसी निधि में निम्नलिखित स्रोत शामिल होंगे :

(a) सेक्शन 109 के तहत प्राप्त / गठित फंड

(b) सेक्शन 114 के तहत प्राप्त / गठित फंड

(c) कोड के संबंधित प्रावधानों के उल्लंघन के लिए लगाए गए जुर्माने से प्राप्तियां

राज्य सरकारें सेक्शन 141 (5) के तहत असंगठित कामगारों के कल्याण के लिए सामाजिक सुरक्षा निधि की स्थापना करेंगी । इस निधि में निम्नलिखित स्रोत शामिल होंगे :

(a) कोड के प्रासंगिक प्रावधानों के उल्लंघन के लिए लगाया गया दंड; और

(b) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित ऐसे अन्य स्रोत ।

IX. असंगठित कामगारों, गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स लाभार्थी के तौर पर पंजीकरण (सेक्शन 113)

(i) असंगठित कामगारों, गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स का पंजीकरण – पात्रता की शर्तें

(a) 16 वर्ष की आयु या केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित आयु पूरी हो चुकी हो;

(b) एक स्व-घोषणा पत्र प्रस्तुत करे जिसमें केंद्र द्वारा निर्धारित जानकारी हो ।

(ii) प्रत्येक पात्र असंगठित कामगार, गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर अपनी और आश्रितों की पहचान स्थापित करने के लिए एक आवेदन पत्र, आधार कार्ड की प्रति और केंद्र सरकार निर्धारित अन्य दस्तावेज जमा करेंगे (कोड का सेक्शन 142 (1);

(iii) केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित और दी गई सुविधा के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रूप से पंजीकृत किया जाएगा;

(iv) पंजीकरण की औपचारिकता पूरी करने के बाद कामगार को एक विशिष्ट संख्या (नंबर) दिया जाएगा; और

(v) पंजीकृत कामगार संबंधित योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे ।

X. भवन एवं अन्य निर्माण कामगारों के लिए कल्याण योजनाएं

स्पष्टता के लिए इस भाग को दोहराया गया है ।

सेक्शन 7 के तहत राज्य सरकार बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड का गठन करेगी और बोर्ड के कार्य निम्नानुसार होंगे –

(1) मृत्यु और विकलांगता लाभ प्रदान करना;

(2) 60 वर्ष की आयु के बाद लाभार्थियों को पेंशन का भुगतान;

(3) लाभार्थियों की सामूहिक बीमा योजना के लिए प्रीमियम का भुगतान;

(4) लाभार्थियों के बच्चों की शिक्षा के लिए योजना बनाना;

(5) लाभार्थियों और आश्रितों को प्रमुख बीमारियों के लिए चिकित्सा व्यव का भुगतान;

(6)लाभार्थियों को मातृत्व लाभ का भुगतान;

(7)कौशल विकास योजना प्रदान करना;

(8)परागमन आवास प्रदान करना; और

(9)कल्याणकारी उपायों का प्रावधान और सुधार करना ।

XI. भवन एवं अन्य निर्माण कामगारों के लिए कल्याण निधि का गठन

कोड के सेक्शन 100 में निर्माण लागत के 2 प्रतिशत की दर (भूमि और काम के दौरान कामगार को लगी चोटों के लिए दिए गए किसी मुआवजे के भुगतान को छोड़कर) से उपकर के जरिए भवन एवं अन्य निर्माण कामगार 'सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कोष' के गठन का प्रावधान है ।

इस तरह के निर्माण के लिए संबंधित स्थानीय प्रशासन द्वारा अनुमोदन से पहले यह उपकार लगाया जाना चाहिए और इसे भवन एवं अन्य निर्माण कामगार बोर्ड को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से जमा करना चाहिए ।

सेक्शन 108 (2) के प्रावधान के अनुसार इस तरह की जमा निधि को भवन एवं अन्य निर्माण कामगार 'कल्याण कोष' कहा जाएगा और इसका उपयोग कोड के सेक्शन 7 (6) के तहत खर्चों को पूरा करने में किया जाएगा ।

XII. भवन एवं अन्य निर्माण कामगारों का लाभार्थी के रूप में पंजीकरण

सेक्शन 106 में प्रावधान है कि प्रत्येक भवन कामगार जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है किन्तु 60 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है – जिसने कैलेंडर वर्ष में कम से कम 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप में काम किया है को ऐसे प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत किया जाएगा ।

<u>लाभ बंद होना</u>

सेक्शन 107 में प्रावधान है कि कामगार (श्रमिक) कोड का लाभार्थी नहीं रहेगा :

a) यदि ऐसे लाभार्थी ने एक वर्ष में कम से कम 90 दिन काम ना किया हो; और

b) यदि लाभार्थी की आयु 60 वर्ष पूरी हो गयी हो ।

XIII. व्यापक संक्रमण और महामारी के दौरान अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा संरक्षण

हाल ही में हमारा देश कोविड-19 का सामना कर रहा है, जिसने देश के लाखों असंगठित कामगारों के जीवन और जीविका पर विनाशकारी प्रभाव पैदा किया है । इसने काम और आय की क्षति, श्रम बल का अनिवार्य विस्थापन, जीवन की हानि, घोर गरीबी, भूख और लाचारी की मजबूर स्थिति को उत्पन्न किया है । हमे व्यापक संक्रमण और महामारी की घटनाओं के दौरान भूख, गरीबी, जीवन की हानि और लाचारी से बचाव के लिए कोड में एक निश्चित सामाजिक सुरक्षा संरक्षण की जरूरत है । हम इसे राज्य के एक बाध्य कर्तव्य के रूप में निहित करते है ।

XIV. निधियों और खातों का रखरखाव

कोड के सेक्शन 2 (79) के तहत (गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स बोर्ड सहित) नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड, स्टेट सोशल सिक्योरिटी बोर्ड और स्टेट बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड – सामाजिक सुरक्षा संगठन (सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन) कहे जाएंगे ।

सेक्शन 115 (1) के तहत प्रत्येक सामाजिक सुरक्षा संगठन निर्धारित तरीके से अपनी आय और व्यय का उचित लेखा-जोखा रखेगा ।

XV. आगे की चुनौतियां

(i) पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि सेक्शन 1(3) के तहत केंद्र सरकार द्वारा इस कोड के क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी होना है और इसे आंदोलन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू के रूप में देखा जाना चाहिए;

(ii) यह कोड के अन्य पहलुओं के क्रियान्वयन में सुगमता प्रदान करेगा जैसे असंगठित कामगारों, गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा योजनाएं तैयार करना;

(iii) कोड के प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त योजनाएं उस तरीके को भी प्रदान करेंगी जिससे अनौपचारिक कामगारों की उक्त तीन श्रेणियों को सामाजिक सुरक्षा लाभ के संरक्षण का उपाय देने वाली अधिसूचित योजनाओं को प्रशासित करने के लिए कोष बनाया जाना जाना है;

(iv) इस संबंध में केंद्र सरकार की किसी चूक या ढिलाई को इस तथ्य के मद्देनजर भेदभाव पूर्ण माना जाना चाहिए कि कोड अनौपचारिक क्षेत्र के दो श्रेणी के कामगारों (i) भवन और अन्य निर्माण कामगार और (ii) असंगठित कामगारों की अन्य श्रेणियों के साथ असमान और अलग तरह से व्यवहार करता है जो कि संविधान के अनुच्छेद 14 के समानता के प्रावधान की अवहेलना या उल्लंघन के समतुल्य है । चूंकि कोड में भवन और अन्य निर्माण कामगारों की सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए विशेष वित्त पोषण की व्यवस्था है ।

(v) वर्तमान आंदोलन चुनौती का समापन शीर्ष कोर्ट (सर्वोच्च न्यायालय) तक जाने में होना चाहिए ताकि कानून यानि कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी (सामाजिक सुरक्षा कोड), 2020 के द्वारा एक समान (भवन एवं अन्य निर्माण कामगारों तथा असंगठित, गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों) के असमान व्यवहार के अपूर्णता के दोष को ठीक करने के लिए मंडमस (परमादेश) रिट की मांग की जा सके ।

(vi) दूसरे प्रत्येक राज्य सरकार को कोड के सेक्शन 6 (9) के तहत सौंपे गए कार्यों को करने के लिए अधिसूचना के जरिए राज्य बोर्ड यानि असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा (सोशल सिक्युरिटी) बोर्ड का गठन करना है ।

(vii) इस संबंध में राज्य सरकारों को उपयुक्त नियमावली बनानी चाहिए । (इस संदर्भ में एक आसान काम)

(viii) प्रत्येक राज्य सरकार को कोड के सेक्शन 7 (1) के तहत सौंपे गए कार्यों को करने के लिए अधिसूचना के जरिए एक बोर्ड यानि बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड का गठन करना है ।

(ix) इस संबंध में राज्य सरकारों को उपयुक्त नियमावली बनानी चाहिए । (इस संदर्भ में एक आसान काम)

(x) राज सरकारों को राज्य बोर्डों द्वारा असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के संचालन के लिए संबंधित निधि के गठन के प्रावधान किए जाने चाहिए ।

XVI. प्रस्तावित संशोधन

(i) इस कोड के लागू होने की सीमा तक राज्यों में इस कोड को लागू करने के प्रयोजनों के लिए सेक्शन 1 (3) में राज्य सरकारों को शामिल करना;

(ii) सेक्शन 2 (85) के तहत 'असंगठित क्षेत्र' के मायने को व्यापक अर्थ देने के लिए उद्यम की परिभाषा को शामिल करने की आवश्यकता है;

(iii) सेक्शन 2 (85) में 'असंगठित क्षेत्र' में नियोजित होने वाले व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या की आवश्यकता को हटाया जाना चाहिए;

(iv) सेक्शन 2 (90) में सभी स्थितियों में 'दिहाड़ी कामगारों / श्रमिकों की परिभाषा में 'कृषि कामगारों' का शामिल करना; और

(v) परिभाषा के खंड में 'गिग वर्क' की परिभाषा का समावेश ।

XVII. NASS के और हमारे सदस्यों के बारे में

सामाजिक सुरक्षा का राष्ट्रीय गठबंधन (नेशनल अलायन्स) पूरे भारत में सदस्यता आधारित सात अनौपचारिक कार्यकर्ता संगठनों का गठबंधन है। यह अनौपचारिक श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा अधिकारों पर जोर देने के लिए सामूहिक हस्तक्षेप उत्पन्न करने के लिए 2010 में स्थापित किया गया था। भारत में एफएनवी (FNV) और उसके सहयोगी, जिनके पास अनौपचारिक श्रमिकों के अधिकारों के साथ काम करने का इतिहास है, अनौपचारिक श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा अधिकारों के लिए अभियान चलाने के लिए एक साथ आए हैं।

इस राष्ट्रीय गठबंधन में निम्नलिखित सदस्य संगठन हैं:

1. आंध्र प्रदेश व्यवसाय व्रुथिदारुला यूनियन (APVVU) व तेलंगाना व्यवसाय व्रुथिदारुला यूनियन (TVVU)

APVVU & TVVU भारत में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के 18 जिलों में फैले कृषि श्रमिकों, सीमांत किसानों, मछुआरों, स्वदेशी लोगों, चरवाहों और ग्रामीण कारीगरों के 562 मंडल (ब्लॉक) स्तर के ट्रेड यूनियनों के राज्य स्तरीय संघ हैं। सभी संघबद्ध मंडल संघों की वर्तमान सदस्यता 692,400 है। संघ वर्ष 1991 में अस्तित्व में आया और 1998 में राज्य स्तर पर पूर्ण महासंघ के रूप में गठित हुआ। APVVU में 56% सदस्य और नेतृत्व महिलाएं हैं।

2. बीडब्ल्यूआई- बिल्डिंग एंड वुडवर्कर्स इंटरनेशनल (BWI- Building & Woodworkers International)

बिल्डिंग एंड वुड वर्कर्स इंटरनेशनल (बीडब्ल्यूआई), भवन, निर्माण सामग्री, लकड़ी, वानिकी और संबद्ध क्षेत्रों में ट्रेड यूनियनों का एक वैश्विक संघ संघ है। फेडरेशन की स्थापना 2005 में दुनिया भर में हमारे क्षेत्रों में ट्रेड यूनियनों के विकास को बढ़ावा देने और सतत विकास के संदर्भ में श्रमिकों के अधिकारों को बढ़ावा देने और लागू करने के मिशन के साथ की गई थी।

BWI अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO), ADB, WB और UN सहित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भवन, निर्माण सामग्री, लकड़ी, वानिकी और संबद्ध क्षेत्रों में श्रमिकों / ट्रेड यूनियनों का प्रतिनिधित्व करता है। यह संगठन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ परिसंघ (ITUC) और अन्य वैश्विक संघ फेडरेशनों (ग्लोबल यूनियन फेडरेशनों- Global Union Federations), के साथ मिलकर काम करता है और संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक समिति के लिए एक विशेष सलाहकार (Special Consultative status to the Economic and Social Committee of the United Nations) का दर्जा रखता है।

3. HNSA- होम नेट साउथ एशिया(Home net South Asia)

होमनेट साउथ एशिया (HNSA) आठ देशों में फैले घर-आधारित कार्यकर्ता संगठनों (home-based worker organisations) का एक क्षेत्रीय नेटवर्क (regional network) है। इनमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं। 2000 में स्थापित, एचएनएसए (HNSA) दक्षिण एशिया का घर-आधारित श्रमिकों के लिए पहला और एकमात्र नेटवर्क है। विभिन्न पहलों के माध्यम से, एचएनएसए का उद्देश्य घर-आधारित श्रमिकों और उनके प्रतिनिधि संगठनों के बीच क्षेत्रीय एकजुटता का निर्माण करना है, प्रासंगिक नीतियों की वकालत करना जिसमें राष्ट्रीय सांख्यिकी में घर-आधारित कार्यकर्ता शामिल हैं, सरकार के कार्यक्रमों, और श्रमिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करना, उनकी सामूहिक आवाज को मजबूत करके घर-आधारित श्रमिकों की दृश्यता सुनिश्चित करना (ensure visibility of home-based workers), बेहतर आर्थिक अवसरों को पैदा करना, सामाजिक सुरक्षा सुरक्षित करना, जमीनी स्तर के संगठनों की क्षमता विकसित करना। अपनी स्थापना के बाद के वर्षों में, HNSA क्षेत्र में घर-आधारित श्रमिकों के लिए एक अग्रणी आवाज बनकर उभरा है। सदस्य देशों में उनकी पहल, महिलाओं, घर-आधारित श्रमिकों को सशक्त बनाती है और उनके जीवन और आजीविका को बेहतर बनाने में उनकी मदद करती है।

4. NASVI- नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया:

नासवी एक ऐसा संगठन है जो देश भर में हजारों रेहड़ी-पटरी पर बेचने वालों के आजीविका अधिकारों की सुरक्षा के लिए काम कर रहा है। 1998 में एक नेटवर्क के रूप में शुरुआत करते हुए, नासवी को 2003 में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत किया गया था। नासवी की स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य भारत में रेहड़ी-पटरी पर बेचने वालों के संगठनों को एक साथ लाना था ताकि वृहद स्तर के

परिवर्तनों के लिए सामूहिक रूप से संघर्ष किया जा सके जो लगभग 10 मिलियन (100 लाख/ 1 करोड़) विक्रेताओं की आजीविका का समर्थन करने के लिए समर्पित हो गए थे जो पुराने कानूनों और शक्तियों की बदलती नीतियों, प्रथाओं और दृष्टिकोणों के कारण गंभीर रूप से खतरे में हैं। नासवी स्ट्रीट वेंडर संगठनों का एक राष्ट्रीय महासंघ है। यह ट्रेड यूनियनों, समुदाय आधारित संगठनों (सीबीओ), गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) और पेशेवरों का गठबंधन है। NASVI की सदस्यता ट्रेड यूनियन (टी यू), समुदाय आधारित संगठनों (सीबीओ), गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) और वकील, शिक्षक, चिकित्सक, सामाजिक कार्यकर्ताओं जैसे पेशेवरों के लिए खुला हुयी है जो सड़क विक्रेताओं (स्ट्रीट वेंडर्स) के सशक्तिकरण और विकास के लिए काम कर रहे हों। वर्तमान में, नासवी में आंध्र प्रदेश, असम, जम्मू और कश्मीर, बिहार, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, केरल, मणिपुर, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब, मेघालय, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, गोवा, पांडिचेरी और छत्तीसगढ़ आदि राज्यों के 888 संगठनों के 528645 सदस्य हैं।

5. SAVE- सोशल अवेयरनेस एंड वोलौंटरी एजुकेशन (Social Awareness & Voluntary Education)

सोशल अवेयरनेस एंड वोलौंटरी एजुकेशन (SAVE) एक गैर-लाभकारी सामाजिक पुनर्निर्माण संगठन है। श्री ए एलॉयसियस द्वारा वर्ष 1993 में स्थापित SAVE सक्रिय रूप से फ्रीडम ऑफ़ एसोसिएशन को मजबूत करके रोजगार संबंधों को बढ़ावा, बाल श्रम के उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित करके, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करके, कपड़ा एवं वस्त्र की मूल्य श्रृंखला (वैल्यू चैन ऑफ़ टेक्सटाइल एंड गारमेन्ट्स) में नैतिक श्रम मानकों (एथिकल लेबर स्टैंडर्ड्स) को बढ़ावा दे रहें है। यह श्रमिकों के लिए कार्यस्थल

पर प्रशिक्षण देकर उत्पादन प्रक्रिया को पूरा करने में मदद करता है। MSI-TN को खुले संवाद के लिए संस्थागत कमियों को दूर करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, प्रमुख हितधारकों के बीच चर्चा, जिसमें निष्पक्ष श्रम प्रथाओं के लिए सामान्य लक्ष्यों पर चर्चा, प्रचार और कार्यान्वयन शामिल है।

6. SEWA- सेल्फ एम्प्लोयेड विमेंस एसोसिएशन –सेवा (Self Employed Women's Association)

सेवा (SEWA), 1972 में पंजीकृत एक ट्रेड यूनियन है। यह गरीब, स्वरोजगार वाली महिला श्रमिकों का एक संगठन है। ये वे महिलाएं हैं जो अपने श्रम या छोटे व्यवसायों के माध्यम से जीविकोपार्जन करती हैं। वे संगठित क्षेत्र के श्रमिकों की तरह कल्याणकारी लाभों के साथ नियमित वेतनभोगी रोजगार प्राप्त नहीं करते हैं। वे हमारे देश की असुरक्षित श्रम शक्ति हैं। 93 प्रतिशत श्रम शक्ति वाले ये असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं। भारत में महिला श्रम शक्ति में से 94% से अधिक असंगठित क्षेत्र में हैं। हालांकि, उनके काम की गणना नहीं की जाती है और इसलिए अदृश्य रहता है। हालांकि, उनके काम की गणना नहीं की जाती है और इसलिए अदृश्य रहता है। वास्तव में, महिला कार्यकर्ता स्वयं बेशुमार, कम गिनी और अदृश्य रहती हैं। SEWA का मुख्य लक्ष्य महिला श्रमिकों को पूर्ण रोजगार के लिए संगठित करना है। पूर्ण रोजगार रोजगार जिससे श्रमिकों काम सुरक्षा, आय सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा (कम से कम स्वास्थ्य देखभाल, बच्चे की देखभाल और आश्रय) प्राप्त होता है। SEWA महिलाओं को यह सुनिश्चित करने के लिए संगठित करती है कि प्रत्येक परिवार को पूर्ण रोजगार मिले। आत्मनिर्भरता से हमारा अर्थ है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से और निर्णय

लेने की क्षमता के मामले में व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से स्वायत्त और आत्मनिर्भर होना चाहिए।

7. NDWU- नेशनल डोमेस्टिक वर्कर्स यूनियन (राष्ट्रीय घरेलू कामगार संघ)

घरेलू कामगारों के लिए राष्ट्रीय गठबंधन (NADW) पूरे भारत में ट्रेड यूनियनों और घरेलू कामगारों के समूहों का एक नेटवर्क है। एनएडीडब्ल्यू (NADW) घरेलू कामगारों के बीच न्याय की वकालत करने, अधिकारों और सम्मान के लिए सामूहिक रूप से लड़ने और कार्यस्थल पर शोषण, दुर्व्यवहार, हिंसा और उत्पीड़न को दूर करने के लिए नेतृत्व बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत में 'घरेलू कामगारों के लिए राष्ट्रीय गठबंधन' के सदस्य लोकतांत्रिक रिक्त स्थानों को पुनः प्राप्त करने के लिए पूरे भारत में घरेलू कामगारों को संगठित और एकजुट करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एनएडीडब्ल्यू (NADW) असंतोष के दमन और मेहनतकश गरीबों, किसानों, दलितों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों और आदिवासियों के राजनीतिक अधिकारों से वंचित होने से अवगत है। एनएडीडब्ल्यू (NADW) भारत भर में और विश्व स्तर पर धर्मनिरपेक्ष और शांतिप्रिय आंदोलनों के साथ नेटवर्क बनाने के लिए समर्पित है।

XVIII NASS और उसके पिछले कार्यों के बारे में अधिक जानकारी

• 2012 को दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन और जन रैली। इसमें 1200 से अधिक अनौपचारिक श्रमिक नेताओं की भागीदारी थी जो असंगठित श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा अधिकारों पर प्रकाश डालते हैं और असंगठित श्रमिकों की मांगों का एक ज्ञापन श्रम मंत्री को रैली के अनुवर्ती (फोलो अप) के रूप में प्रस्तुत किया गया था।

• नई दिल्ली में 3 और 4 दिसंबर 2014 को दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन जिसमें 200 से अधिक अनौपचारिक क्षेत्र के नेताओं, राजनेताओं, शिक्षाविदों, युवा पेशेवरों, उद्यमियों और अन्य ने भाग लिया। इसने सामाजिक सुरक्षा अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन की प्रक्रिया के लिए एक भविष्य का रोडमैप प्रस्तुत किया और इस मुद्दे से निपटने के लिए राजनीतिक प्रतिबद्धता के साथ श्रम मंत्री का पर्याप्त ध्यान आकर्षित किया।

• NASS के प्रयासों के माध्यम से, उच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश कल्याण बोर्ड में अनौपचारिक श्रमिकों के प्रतिनिधित्व के लिए अनुकूल निर्णय दिया।

• अप्रैल 2012 में बिहार सरकार ने UWSSA-2008 को लागू करने के लिए NASS द्वारा नियमित वकालत के परिणामस्वरूप "बिहार शताब्दी असंगथित कार्यक्षेत्र कामगार और शिल्पकार सुरक्षा योजना 2011" नामक एक नई सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की है।

• गुजरात में काफी वकालत के बाद सरकार ने असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन किया और हाल ही में नियम बनाए गए।

• NASS ने सामाजिक सुरक्षा की मांग पर एक अभियान के माध्यम से 7 राज्यों में 10 लाख हस्ताक्षर एकत्र किए। इन हस्ताक्षरों और मांगों को संबंधित सांसदों और विधायकों के संज्ञान में लाया गया।

• सदस्य संगठनों द्वारा कोविड-19 हेतु राहत कार्य किये और राज्यों में कोविड राहत गतिविधियों से भी जुड़े रहे।

• राज्य के शोधकर्ताओं की मदद से अनौपचारिक श्रमिकों के बीच दुर्दशा और बदहाली से जूझने (plight and coping mechanism among the informal workers) का

दस्तावेजीकरण करने वाले प्रत्येक राज्य के लिए राज्यवार अध्ययन: नकद में राहत, अन्य रूपों में राहत, यूनियनों की मांगों और निरंतर चुनौतियों के मुद्दों-पर किया गया था। सभी NASS सदस्यों द्वारा 80 मामलों की कहानियां प्रस्तुत की गईं।

• कोविड-19 महामारी के दौरान श्रमिकों के लिए मांगों का एक चार्टर (चार्टर ऑफ़ डिमांड) तैयार किया गया था। अनौपचारिक श्रमिकों के सुरक्षा, स्वास्थ्य और भोजन को सुनिश्चित करने के अधिकारों पर जोर देने पर एक नोट तैयार किया गया था।

• सामाजिक सुरक्षा संहिता के निहितार्थ (इम्प्लीकेशंस/ Implications) पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया। इस वेबिनार के वक्ता प्रोफेसर बाबू मैथ्यू थे जो अपने आरम्भ के दिनों से ही NLSIU के संकाय सदस्य रहे हैं और इसका संचालन होमनेट साउथ एशिया की अंतर्राष्ट्रीय समन्वयक जान्हवी दवे ने किया था।

• सामाजिक सुरक्षा संहिता पर वक्ता के रूप में कर्नाटक विश्वविध्यालय के कानून में प्रोफेसर शरथ बाबू के साथ एक वेबिनार आयोजित किया गया था। सामाजिक सुरक्षा संहिता के मसौदे पर चर्चा के अनुवर्ती रूप (फॉलो अप) में, स्थिति पत्र (पोजीशन पेपर) तैयार किया गया था।